फा.सं. 43-1/2012-बाग ।V

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक:13.1.2012

सेवा में,

सचिव, कृषि/बागवानी विभाग
सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन
सचिव, (डेयर एवं डी जी, भा.कृ.अ.प.)
कृषि भवन, नई दिल्ली ।
कुलपति,
राज्य कृषि विश्वविद्यालय/केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
निदेशक,
सभी मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान

विषय: केन्द्रीय बागवानी संस्थान, नागालैंड में निदेशक के पद का भरा जाना ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय बागवानी संस्थान, मेडजीफेमा, नागालैंड जो इस विभाग के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय है, में 16400-450-20500 रू0 के वेतनमान में निदेशक (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह-क राजपत्रित, अननुसचिवीय) के एक पद को भरे जाने का प्रस्ताव है । संस्थान में निदेशक की पद की रिक्ति 29.7.2012 से होगी । पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं :-

1. अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा इसके अनुसंधान संस्थान/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अंतर्गत ऐसे अधिकारी इस पद के लिए पात्र हैं जो

(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या

(ii) मूल संवर्ग/विभाग में 14300-18300 रूपए के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों अथवा समकक्ष और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव रखते हों :-

(I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी में विशेषज्ञता के साथ कृषि में मास्टर डिग्री या एम.एससी. (बागवानी) के पश्चात बागवानी में पीएच.डी डिग्री ।

(II) बागवानी विकास/अनुसंधान के क्षेत्र में 12 वर्ष का अनुभव ।

2. प्रतिनियुक्ति की अवधि उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (लघु आवधिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

3. पात्रता निर्धारित करने की निर्णायक तारीख आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।

4. प्रतिनियुक्ति आधार पर चयनित अधिकारियों को अपना ग्रेड वेतन जमा प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता लेने अथवा समय-समय पर, यथा संशोधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.3.1998 के का.ज्ञा.सं. 2/8/97-स्था. (वेतन-II) के अनुसार पद से संबंधित वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प है ।

5. यह विशिष्ट रूप से उल्लिखित किया जाता है कि पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बाद में अपनी उम्मीदवारी वापिस लेने की अनुमति नहीं होगी ।

6. अनुरोध है कि हमारे वेबसाईट www.cihner.org.in से ए-4 आकार के कागज पर डाऊनलोड किए हुए प्रपत्र पर ऐसे इच्छुक तथा योग्य अधिकारियों के आवेदन पूर्ण व अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट सहित रोजगार समाचार पत्र में जारी होने की तारीख़ से 60 दिन के अंदर श्री एम.एल. अटल, अवर सचिव (बागवानी), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कमरा सं. 547, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 के पास भेज दिए जाएं जिन्हें उनका चयन होने की स्थिति में तत्काल कार्य मुक्त किया जा सके । आवेदन पत्र भेजते समय, यह भी जांच की जाए और सत्यापित किया जाए कि अधिकारी द्वारा दिए गए ब्यौरे सही हैं और उनके खिलाफ़ कोई सतर्कता मामला न तो लंबित है और न ही ऐसा किए जाने का विचार है तथा पिछली सेवा के दौरान न ही उन पर कोई छोटी/बड़ी शास्ति लगाई गई है और नहीं इस पर विचार किया जा रहा है ।

7. ऐसे आवेदन जो निर्धारित प्रपत्र पर नहीं हैं या अंतिम तारीख़ के बाद प्राप्त आवेदन पत्र अथवा बिना पूर्ण व अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट, सतर्कता निकासी, निष्ठा प्रमाणपत्र और पिछली सेवा के दौरान अधिकारियों पर लगाई गई कोई छोटी/बड़ी शास्ति, यदि कोई हो, तो उसके विवरण के बिना या अन्यथा अपूर्ण पाए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

8. अनुरोध है कि राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के विभागों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में इस रिक्ति का प्रचार किया जाए ।

भवदीय,

(एम.एल.अटल)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं. 011-23389909

<u>प्रतिलिपि प्रेषित:-</u>

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थानों में इस रिक्ति को व्यापक प्रसार दें ।
2. कृषि और सहकारिता विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग/यूनिट (आवेदन संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात संबंधित स्थापना अनुभाग जैसी स्थिति हो, के माध्यम से अग्रेषित की जाए ।)
3. सुविधा केन्द्र, कृषि एवं सहकारिता विभाग ।
4. कृषि और सहकारिता विभाग के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
5. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र, कृषि भवन, नई दिल्ली । अनुरोध है कि इस रिक्ति (29.7.2012 से) को कृषि एवं सहकारिता विभाग के वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाए ।
6. गार्ड फाइल/अतिरिक्त प्रतियां/सूचना पट्ट ।
7. संपादक, रोजगार समाचार को रोजगार समाचार में व्यापक प्रचार देने के लिए प्रेषित । रोजगार समाचार, प्रकाशन प्रभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ईस्ट ब्लाक-4 लेवल-5, आर0के0 पुरम, नई दिल्ली-66

<u>प्रपत्र</u>

1. नाम तथा पता (बड़े अक्षरों में)
2. पदनाम और वेतनमान
3. जन्म तिथि : (ई.सन् में)
4. केन्द्रीय/राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख :
5. शैक्षणिक अर्हताएं :
6. क्या आप पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताओं को पूरा करते हैं (यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित किसी के समकक्ष माना गया है तो उसके लिए प्राधिकार का उल्लेख करें)

   अनुभव अर्हताएं/अपेक्षित अधिकारी की अर्हताएं/अनुभव

अनिवार्य (1)

(2)

(3)

वांछित (1)

(2)

7. आपके द्वारा की गई उपर्युक्त प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि क्या आप पद की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं
8. कालक्रमानुसार रोजगार के विवरण । यदि नीचे का स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत प्रमाणित एक अलग पत्रक संलग्न करें ।

नियोक्ता/संगठन/संस्थान	पद का नाम	से	तक	वेतनमान तथा मूल वेतन	ड्यूटी का स्वरूप

9. वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप अर्थात तदर्थ अथवा स्थाई
10. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर है तो कृपया उल्लेख करें ।

(क) प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख

(ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि

(ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबंध रखते हैं ।

11. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे ।

(संगत स्तंभ में अपने नियोक्ता का नाम दर्शाएं)

(क)केन्द्र सरकार

(ख) राज्य सरकार

(ग) स्वायत्त संगठन

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

(ङ) विश्वविद्यालय

12. क्या आप संशोधित वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो तारीख बताएं जिसमें संशोधन किया गया था और पूर्व संशोधित वेतनमान भी बताएं ।

13. इस समय प्रतिमाह आहरित कुल परिलब्धियां ।

14. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई है, जिसका आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहेंगे । यदि स्थान अपर्याप्त है, तो अलग पत्रक संलग्न करें ।

15. क्या आप अ0जा0/अ0ज0जा0/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं ?

16. अभ्युक्तियां

दिनांक: उम्मीदवार के हस्ताक्षर

पता:

प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा दिए गये ब्यौरे सही हैं तथा उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न तो लम्बित है और न ही इस पर विचार किया जा रहा है तथा उनकी सेवा की अवधि के दौरान अधिकारी पर कोई दण्ड, छोटा या बड़ा, नहीं लगाया गया तथा उनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे हैं ।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

(मुहर सहित)